न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या ....224/19-20......

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस।

03-03-20
17-03-20
03-04-20
25-09-20
09-10-20

जगेश्वर महतो बनाम **मनीष कुमार**

स्थानीय पुलिस थानाः *निमियॉघाट* से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया हैं, के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि

द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को मारपीट एवं धमकी दिया गया है

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति–व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

09-08-20

इन तथ्यों के आलोक में ~~उभय पक्ष~~/विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक ....03..../...03....20.20..... को कारण–पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/– रूपये के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष –

1 जगेश्वर महतो उम्र : 35 वर्ष पिता :
प्रधानाध्यापक, पी.टी. ए.के.जैन मेमोरियल स्कूल, इसरी बाजार।

– बनाम –

द्वितीय पक्ष –

1 मनीष कुमार उम्र : 35 वर्ष पिता : स्व. शांति राम
साकिन : स्टेशन रोड, इसरी बाजार, थाना : निमियॉघाट, जिला : गिरिडीह।

लेखापित
10/02/2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

कार्यपालक दण्डाधिकारी डुमरी (गिरिडीह)

10/02/2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

03.03.2020 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतनामा के साथ उपस्थित। अधो० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दि० 17.03.2020 को उपस्थापित करें।

17.03.20 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभि० दि० 03.04.20 को रखें।

अनु० दण्डा०
डुमरी।

कार्यपालक दण्डाधिकारी
डुमरी

Scanned with CamScanner

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 224/19-20.

जगेश्वर महतो बनाम मनीष कुमार

12-12-20

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ हीं अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12.12.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

12.12.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner